भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 477**

वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

ईसीजीसी लिमिटेड

477. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान ईसीजीसी द्वारा प्रीमियम, दावों सहित कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) ईसीजीसी द्वारा प्रदत्त उत्पादों, सेवाओं तथा व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ईसीजीसी द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ हस्ताक्षरित किये गये समझौता ज्ञापनों (एमओयू) तथा उसके फलस्वरूप मिले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(च) पूंजी लगाया जाना, ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यनिष्पादन को बेहतर करने हेतु सुधारों सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हां।

(ख) : ईसीजीसी लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 1957 में निर्यातकों और बैंकों को निर्यात ऋण बीमा सेवाएं और भारत से निर्यातों का संवर्धन करने एवं सहयोग देने के लिए मुंबई में की गई।

(ग) : ईसीजीसी के कार्य निष्पादन का विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष में विवरण निम्नानुसार है :

राशि करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	अप्रैल-जून, 2020
प्रदत्त दावों की राशि	1,283.17	1,013.31	408.41*	202.41
प्राप्त प्रीमियम की राशि	1,240.42	1,247.54	1075.41	170.39

*चूंकि वर्ष 2019-20 के लिए 31 मार्च, 2020 तक प्रलेखन उपलब्ध नहीं था, इसलिए प्रदत्त दावे न्यूनतर हैं।

(घ): ईसीजीसी सेवाओं/उत्पादों में निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण बीमा पालिसी, बैंकों और मध्यम व दीर्घावधि परियोजना निर्यातों के लिए निर्यात ऋण बीमा, एमएसएमई तथा सूक्ष्म एवं लघु निर्यातक पॉलिसियों के लिए फैक्टरिंग स्कीम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ईसीजीसी राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट का प्रबंधन अभिकरण है जो भारत सरकार को राष्ट्रीय हित में परियोजना निर्यात में सहयोग देने के लिए सक्षम बनाता है।

कंपनी में भारत सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी, जिसके लिए भारत सरकार को शेयर जारी किए जाते हैं, का कंपनी के पूंजीगत आधार में वृद्धि करने में उपयोग किया जाता है। पूंजीगत आधार से जोखिम अंकन क्षमता ली जाती है जिसके आधार पर ईसीजीसी व्यापार प्रचालनों से आय सृजित करती है और सरकार को डिबिडेंट का भुगतान करती है।

(ड.) : ईसीजीसी ने समान विदेशी संस्थानों के साथ 48 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य सूचना और उत्तम पद्धतियों का नियमित विनिमय, निर्यात ऋण बीमा मुद्दों पर विचार-विमर्श/ विचारों का विनिमय और परस्पर हित के संभावित क्षेत्रों और परियोजना की पहचान करना है। हाल ही में, क्रेडिट ओमान के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत इसकी वचनबद्धता के एक भाग के रूप में ईसीजीसी ने दूसरे पक्ष को उसकी प्रणालियों और उत्पादों में सुधार के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं और परामर्शी शुल्क के रूप में 75000 अमरीकी डॉलर अर्जित किए हैं।

(च) : भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान उभरते हुए और चुनौतीपूर्ण बाजारों को निर्यात सहित निर्यात ऋण बीमा की अधिक मात्रा को सहायता देने के लिए ईसीजीसी में लगभग 1410 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी लगाई है। ईसीजीसी और वाणिज्य विभाग के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के विभिन्न संकेतकों के माध्यम से ईसीजीसी के कार्यनिष्पादन की निगरानी की जाती है।

*****